सेवा में

एस.डी.एम्

बद्दी

9th July 2018

SDM/Supdt.

विषय: नगर परिषद् बद्दी द्वारा शहर के कचरे को गांव में गैर कानूनी तरीके डंपिंग करने बारे

उपमण्डलाधिकारी (ना.)

डायरी संख्या 33.3[illegible]

दिनांक : 9-7-[illegible]

हस्ता[illegible]

महोदय

हम केंदुवाल गॉव संधोली पंचायत मे स्थित ५ गुज्जर परिवार हैं जो की अपनी आजीविका के लिए भैंस और गाय पालन का काम करते हैं. हमारे बसाहट के ठीक बगल में बद्दी नगर परिषद् ने दो वर्ष पहले से कचरा डंपिंग ग्राउंड बना रखा है जिससे हमारा जीना दूभर हो गया है. हमारे को इस डंपिंग ग्राउंड से निम्न समस्याएं हैं:

- **कचरे की बदबू** – इस बदबू से किसी भी साधारण इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हम इसको पिछले २ साल से झेल रहें हैं (इसकी शिकायत आपके कार्यालय में कई बार पेश की जा चुकी है)
- **साथ ही कचरे से हमारे बच्चों, बूढों और गाय भैंसों को बिमारियों** का सामना करना पड़ रहा है. पिछले दो वर्षो में हमारी 20 गाय और ५ भैंसें मर गयी हैं जिसकी रिपोर्ट हमने पशुओं के अस्पताल में भी लिखवाई है
- **इधर आने जाने वाली ट्रकों से कई बार हामरे पीने के पानी का पाईप टूट चुका है**
- **हमारा आने जाने का रास्ता भी बार बार कचरे के डंपिंग से रुक जाता है**

पिछले दिनों बारिश के कारण रास्ता बदबूदार कीचड़ से लबालब भर गया था और हमने इस बात की शिकायत बार बार नगर परिषद् के कार्यालय में की थी. नगर परिषद् ने हमें आश्वासन दिलाया कि रास्ते को ठीक करवा देंगे. बड़ी मुश्किल से इस रास्ते में **6** जुलाई को एक डम्फर मिटटी नगर परिषद् द्वारा फिक्वाई गयी. इसके बाद डम्फर को दोबारा और मिटटी दाल कर रास्ते का काम ख़त्म करना था पर यह होने से पहले ही कचरे के ट्रक डंपिंग साईट पर पहुँच गए और रास्ता फिर खराब ना हो इसलिए हमारे घर की महिलाओं ने उनको रोकने का प्रयत्न किया. इसके चलते ट्रकों को ला रहे मजदूरों और हमारे बीच बहस बाजी हो गयी. उन्होंने गाली गलौच की और हमारी बात मानने से इनकार किया. इसलिए गरमा गर्मी हो गयी. परन्तु हम प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमें मजदूरों के साथ कोई समस्या नहीं है – बल्कि नगर परिषद् के अमानवीय तरीके से काम करने पर और इस विशाल कचरे की डंपिंग से शिकायत है जो हम आपके सामने रखना चाह रहें हैं.

हम आपको अवगत करवाएं की नगर परिषद् के EO श्री अजमेर सिंह को इस पूरी बात का पता होने के बावजूद उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में FIR कर दी. यह केवल हमको डराने और हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए किया गया है, ताकि हम इस मामले में शांत हो जायें. नगर परिषद् के मुखिया की अध्यक्षता में हमारे और मजदूरों के बीच तो सुलह हो गयी थी परन्तु हम आपको नगर परिषद् द्वारा बनाये गए इस डंपिंग ग्राउंड के बारे में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना चाहते हैं:

1. पंचायत की चारागाह भूमि को बिना ग्राम सभा की अनुमति के इस काम (कचरा डंपिंग ग्राउंड) के लिए इस्तमाल करने का निर्णय कैसे लिया गया और क्या सभी जिम्मेदार डिपार्टमेंट ने यह जांच की थी की कचरा फेंकने की अन्य व्यवस्था और जगह क्या हो सकती है?
2. 2016 में पर्यावरण संरक्षण कानून के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management Rules - SWMR) की नियमावली बनाई गयी थी. नियमों की **अनुसूची १ – क.७** के अनुसार: किसी भी disposal साइट को बसाहट से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए. साथ ही नदी के बाढ तट में भी नहीं स्वीकृत किया जा सकता है – तो कृपया बताइए कि यह disposal साईट को मंज़ूरी किस विभाग ने दी जबकि यह बसाहट से सटी है और flood plain के अन्दर भी है.
3. **SWMR 2016 की अनुसूची १ – ख.२** के अनुसार किसी भी landfill site के बाहर गेट होना चाहिए और अन्दर से निकल रहे रास्तो कंक्रीट के होने चाहिए – इस सूची की भी पूरी अवहेलना मौजूदा डंपिंग ग्राउंड में की जा रही है
4. जबकि SWMR 2016 मे यह स्पष्ट किया गया है की कचरे की पूरी व्यवस्था – सफाई, अलग-अलग करने के बाद उसका disposal किया जाएगा. कृपया हमें यह अवगत करवाइए कि कचरा disposal करने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है – या सीधे ही नगर से इसे ला कर फेंक दिया जाता है?
5. यदी कचरे को २ सालो से सीधे फेंका जा रहा है तो हमें बताइए की जिला और राज्य स्तर पर SWMR 2016 के

तहत गठित monitoring कमेटियों ने इसका जायजा अब तक क्यों नहीं लिया है जबकि इनको ६ मासी रपट बनानी होती हैं?

6. हम अनुसूचित जन जाती की श्रेणी में आते हैं और सामूहिक चारागाह ज़मीनों और वन भूमि से हमारा व्यवसाय चलता है. संसद द्वारा पारित वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार हमारे सामूहिक अधिकार चारागाह ज़मीन पर हैं और कानून की धारा ४(५) के अनुसार यह अधिकार वन-आधारित समुदायों को निहित किये गए हैं. कानून की धारा ३.१.ग के अंतर्गत हम उक्त भूमि पर इस सामूहिक अधिकार का दावा कर सकते हैं. इस चारागाह भूमि को अन्य किसी भी प्रयाग में बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के नहीं लाया जा सकता.
7. साथ ही, यदी कोई सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता और उससे अनुसूचित जन जाती समुदाय को हानि पहुँचती है तो यह अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अनुभाग ४ के बिंदु 7 का उलंघन है. इसी कानून के अनुभाग ३ में धरा 1.बी के अनुसार Sc/ST समुदाय के परिसर या पड़ोस में मल-मुत्र, कूड़ा-कचरा, पशुशव या अन्य घृणाजनक पदार्थ डाल कर उसे क्षति पहुँचना गैर कानूनी है.

महोदय हम आपसे फिर से अपील करते हैं की इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए क्यों कि नगर परिषद् द्वारा बनाया गया यह डंपिंग साइट पूरी तरह से गैर कानूनी है और हमारे संवैधानिक अधिकारों ख़ास कर संविशान के Article २१ में दिए गए जीने के अधिकार की घोर अवहेलना करता है.

यदी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होती तो हम यह अपील कोर्ट में ले जाने के लिए मजबूर होंगे.

धन्यवाद

1) गुलाम नबी S/o इसा मोहम्मद   गुलाम नबी
2) बशीर S/o " [illegible]   [illegible]
3) सत्तार S/o "

इस पत्र के साथ एक और ज्ञापन संलग्न कर रहे हैं जो पहले आपके दफ्तर में दे चुके हैं जिसमें क्षेत्र के 1200 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं.

Copy to:

कॉपी: (1) DC Solan, (2) SHO, Baddi Police Station, (3) RO, HPPCB, Solan (4) Secretary, Urban Dev. De[pt.] Shimla.